न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या– 118/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/171

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		1–डालुभाई डाहयाजी भील पुत्र श्री डाहया भाई भील निवासी फूलपुरा तहसील सांतलपुर जिला पाटन गुजरात। 2–सिपाई नजीर भाई पुत्र नूर मोहम्मद निवासी फूलपुरा तहसील सांतलपुर जिला पाटन गुजरात। 3–विमल परमार पुत्र सतीश भाई परमार पता–एस.आई.एक्स.–94 जनता कॉलोनी, गांधीधाम, कच्छ–370201

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेश चौधरी।

निर्णय **दिनांक** – 19/10/22

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में मौके पर जब्तसुदा वाहन संख्या जी.जे.12 जेड 3673 मय 16900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विमल परमार को हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 24.08.2022 अनुसार अप्रार्थी संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि आज दिनांक 31.10.2021 को पुलिस थाना सुरपालिया द्वारा दूरभाष पर अवैध बायोडीजल डिटैन करने की सूचना पर श्री मृदुलसिंह आई.ए.एस. जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक सरकारी वाहन से पुलिस थाना सुरपालिया पहुंचकर थानाधिकारी से सम्पर्क किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सुरपालिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर मौके पर डिटैनसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी. जे. जेड 3673 का मौका निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित वाहन चालक श्री डालुभाई डाहयाजी भील पुत्र श्री डाहया भाई भील निवासी फूलपुरा तहसील सांतलपुर जिला पाटन गुजरात व वाहन के खलासी श्री सिपाई नजीर भाई पुत्र श्री नूर मोहम्मद से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये। अपने बयानों मे वाहन चालक श्री डालुभाई डाहयाजी भील ने बताया कि उसने चार दिन पूर्व हजीरा, गुजरात से इस टैकर मे 21.5 टन तरल पदार्थ भरकर इसका परिवहन नागौर करने हेतु रवाना हुआ। नागौर पहुंचने पर एक व्यक्ति श्री महेन्द्र मो.नं. 8290536916 के कहे अनुसार नागौर से लगभग 15 किमी दूर एक गांव पहुंचे। वहां पर इस टैंकर मे भरे हुए तरल पदार्थ को ट्रेक्टर के पीछे लगे पानी टैंकर मे खाली कर रहे थे कि मौके पर पुलिस पहुंची और ऑयल टैंकर को डिटैन कर पुलिस थाना लाया गया। वाहन चालक श्री डालुभाई डाहयाजी भील से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय सम्बन्धित अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नही होना बताया। श्री डालुभाई डाहयाजी भील द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर वाहन संख्या जी.जे. 12 जेड 3673 मे भरे हुए पेट्रोलिय पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया

कलक्टर, नागौर

गया। उक्त टैंकर का मौका निरीक्षण करने पर टैंकर मे पांच खण्ड बने हुए पाये गये। टैंकर के पांचो खण्डों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर खण्ड 1 में 4500 लीटर, खण्ड–2 में 5000 लीटर, खण्ड–3 में 3900 लीटर, खण्ड–4 में 1800 लीटर एवं खण्ड–5 में 1700 लीटर अर्थात उक्त जब्तसुदा 16900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। उक्त जब्तसुदा 16900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के नमूनें हेतु टैंकर के पांचो खण्डों से बराबर मात्रा में एक एल्युमिनियम की स्वच्छ बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु लिए गये उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम पात्रों में 1000 एम.एल.प्रति पात्र भरा जाकर एल्युमिनियम पात्रों पर आवश्यक सूचनाएं चस्पा की गई। तीनों नमूनों को मार्का ए–1, ए–2 एवं ए–3 दिया गया। नमूना क्रमांक ए–1 को प्लास्टिक सील संख्या 9698738 से सील्ड कर वास्ते एफएसएस. जांच साथ मे लिया गया। नमूना कमांक ए–2को प्लास्टिक सील संख्या 9698752 से सील्ड कर वाहन चालक श्री डालुभाई को सुपुर्द किया गया। नमूनों कमांक ए.–3 को प्लास्टिक सील सं. एस.आई.2348707 से सील्ड कर कार्यालय मे सुरक्षित रखने हेतु साथ मे लिया गया। जब्तसुदा टैंकर वाहन संख्या जी.जे.12 जेड 3673 पर बने टैंकर के खण्ड–1 को प्लास्टिक सील संख्या 9698737 से, खण्ड–2 को 9698793 से, खण्ड 3 को 9698743 से खण्ड–4 को 9698793 से, खण्ड–5 को 9698745 से एवं सैण्ट्रल लौक को 9698747 से व वाल्व बॉक्स को प्लास्टिक सील संख्या 9698728 से सील्ड किया गया। जब्तसुदा वाहन संख्या जी.जे.12जेड 3673 मय 16900लीटर पेट्रोलियम पदार्थ प्रभारी मालखाना पुलिस थाना सुरपालिया की सुपुर्दगी मे निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु दिया जाकर प्राप्त हस्ताक्षर करवाये गये। श्री डालुभाई डाहयाजी भील का यह कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय औरवितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी निर्देशों का उल्लघंन है जो धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

2(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/6808/CAE/163/21 दिनांक 24.12.2021 में वर्णित किया गया है कि The liquid sample from the packet marked A did not confirm the BIS specification of Diesel (IS-1460 : 2017) in respect of distillation characteristics density at 15°C. On the basis of distillation characteristics and kinematic viscosity at 40°C. On the basis of distillation characteristics the above sample was found to be of petroleum fraction of boiling point range from 284°C to 322°C having density 0.8246 at 15°C and flash point 139°C (COC). प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय मानक ब्यूरो (IS-1460 : 2017) के अनुरूप डीजल की पुष्टि नहीं हुई है। उक्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नमूना ए–1 में उक्त पदार्थ, मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से परिवहन, भण्डारण या विकय आदि नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के पास उक्त जब्तशुदा मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण एवं विकय का प्राधिकार पत्र नहीं पाये जाने पर अप्रार्थी द्वारा मोटर स्प्रीट उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड–2(क)(घ)(च–i)(ढ)(द) एवं 3 का स्पष्ट उलघंन है। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है, का कथन करते हुए प्रकरण में मौके पर से जब्तसुदा वाहन संख्या जी.जे.12 जेड 3673 मय 16900लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. वकील अप्रार्थीगण श्री राजेश चौधरी ने आदेशिका दिनांक 12.10.22 अनुसार प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से दिनांक 05.05.2022 को प्रस्तुत जबाब ही अप्रार्थी संख्या–3 का जबाब माने जाने का निवेदन किया, जो स्वीकार किया गया। श्री राजेश चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में जो आवेदन पेश किया है वह मिथ्या, बेबुनियाद व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर पेश किया है। यह कथन गलत है कि, टैंकर में मिला तरल पदार्थ ऑयल हो। यह कथन भी गलत है कि, पेट्रोलियम पदार्थ हो। जब उक्त टैंकर में पेट्रोलियम पदार्थ था ही

कलक्टर, नागौर

नहीं तो वैसी स्थिति में उसके परिवहन, भण्डारण व विक्रय से संबंधित अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रार्थी के वाहन को गलत रूप से जब्त सरकार किया गया है। उक्त वाहन से किसी प्रकार का कोई ऑयल परिवहन नहीं किया गया और न ही टैंकर में ऑयल पेट्रोलियम पदार्थ था। बल्कि उक्त टैंकर नम्बर जीजे 12 जेड 3673 में Farasol D 140 औद्योगिक ईकाईयों में काम में लिया जाता है। उक्त तेल का बिल, ई वे बिल जारी किया गया था तथा किस स्थान पर पहुचांना था इसका भी अंकन किया हुआ है। इस प्रकार बिना किसी प्रकार की जांच किये ही व बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के टैंकर को जप्त कर उसमें Farasol D 140 नाम के तेल को जप्त किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा उक्त तेल औद्योगिक ईकाईयों में काम में लिया जाता है यदि उक्त तेल को जो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर भेजा गया है। उक्त तेल को नष्ट कर देने से अप्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी द्वारा पेश किया गया उक्त आवेदन मय हाजा खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

4. श्री रामावतार पूनिया ने रिबटल में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 न तो प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के मालिक है और न ही जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ स्वंय का होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या–3 हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या जी.जे. 12 जेड 3673 का मालिक है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत टेक्स इनवाईस दिनांक 24.10.2021 की छाया प्रति के अनुसार उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ आस्था इम्पेक्स गांधीधाम कच्छ के यहां से रूपम कंस्ट्रक्शन कम्पनी सिवरों का बास गांव अड़वड़ तहसील जायल जिला नागौर को भेजा जा रहा था, उक्त टेक्स इनवॉईस में Farasol D 140 होना बताया गया है, परन्तु उक्त आस्था इम्पेक्स अथवा रूपम कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त जब्तशुदा पदार्थ के संबंध में कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जब्तशुदा माल को उक्त टेक्स इनवाईस में Farasol D 140 होना बताया है, परन्तु एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उक्त जब्तशुदा माल मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जो मोटर स्प्रीट उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड–2(क)(घ)(च–i)(ढ)(द) एवं 3 का स्पष्ट उलघंन है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रसद विभाग नागौर द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के कब्जे से दौराने जॉच मौके पर से एक टैंकर नम्बर जीजे 12 जेड 3673 मय 16900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बिना किसी विधिक अनुज्ञप्ति के पाये जाने पर उसे जरिये फर्द मौका मय फर्द जब्ती/सुपुर्दगीनामा दिनांक 31.10.2021 के अनुसार जब्त किया जाकर पुलिस थाना सुरपालिया को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का विधिवत पृथक से नमूना लिया जाकर एफ.एस.एल. जॉच हेतु भेजा गया। प्राप्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/6808/CAE/163/21 दिनांक 24.12.2021 के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय मानक ब्यूरो (IS-1460 : 2017) के अनुरूप डीजल की पुष्टि नहीं हुई है। उक्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नमूना ए–1 में उक्त पदार्थ, मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है। अप्रार्थीगण ने उक्त जब्तशुदा पदार्थ को Farasol D 140 होना बताया गया है, परन्तु एफ.एस.एल. रिपोर्ट में उक्त जब्तशुदा पदार्थ को Farasol D 140 होने की पुष्टि नहीं की है। पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से परिवहन, भण्डारण या विक्रय आदि नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के पास उक्त जब्तशुदा मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय का प्राधिकार पत्र नहीं पाये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा मोटर स्प्रीट उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड–2(क)(घ)(च–i)(ढ)(द) एवं 3 का स्पष्ट उलघंन है। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है, उक्त परिस्थितियों प्रार्थी रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा एक टैंकर नम्बर जीजे 12 जेड 3673 मय 16900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को सम्पहरण (Confiscate) किया जाता है। उक्त

कलक्टर, नागौर

जब्तशुदा वाहन का सम्पहरण (Confiscate) करने के विकल्प में वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या–3 विमल परमार पर 1,50,000/–(अक्षेर–एक लाख पचार हजार रूपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–3 विमल परमार को इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस में उक्त जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त ज़ब्तशुदा टेंकर को मुक्त कर दिया जावे। उक्तानुसार प्राप्त जुर्माना राशि राजकीय राशि घोषित किया जाता है एवं उक्त जुर्माना राशि को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवाई जावे। यदि अप्रार्थी संख्या–3 विमल परमार द्वारा उक्त जुर्माना राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त जब्तशुदा टेंकर की नियमानुसार नीलामी कर, नीलामी से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है एवं उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाइ जावे। इस आदेश की पालना हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर